न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सौम्या झा, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 02 / 2025
प्रविष्टि दिनांक 09.01.2025

उद्दाराम गुर्जर पुत्र भेरूलाल जाति गुर्जर निवासी लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक राज.
अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी टोंक राज.
रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 06.12.2024 जिला रसद अधिकारी टोंक

उपस्थितिः–
1. श्री सेतराम चौधरी, अभिभाषक –अपीलान्ट
2. पेराकार सरकार –रेस्पाडेन्ट

निर्णय दिनांकः–21.05.2025

अपील अपीलान्ट का सांराश इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी टोंक ने आदेश दिनांक 04.12.2024 से श्री उद्दाराम गुर्जर,उचित मूल्य दुकानदार पोसकोड नम्बर 2520 लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक का प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन मानते हुए अप्रार्थी डीलर की जमाशुदा सम्पूर्ण प्रतिभूत राशि 1000 रूपये जब्त सरकार करते हुये प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने पर उक्त आदेश से अपीलान्ट व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पाडेन्ट की गई तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट एंव पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आदेश दिनांक 06.12.2024 राजस्थान खाद्यान्न एवम् अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियम आदेश, 1976 के प्रावधानों के विपरीत एवम् विधि विरूद्ध है। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 30.06.2016,19.07.2016 एवं 05.08.2016 को पोस मशीन द्वारा रसद सामग्री का ऑनलाईन वितरण बाबत् दिशा निर्देश पारित किये गये तत्पश्चात् दिनांक 24.03.2017 को संशोधित आदेश पारित किये जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा अपने आधार कार्ड एवं अंगूठे का बायोमैट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओ.टी.पी. नम्बर आता है जिसको उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को बताने पर रसद सामग्री देय होती है जिसका प्राप्ति मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाता है। चूंकि उक्त वितरण व्यवस्था पूर्ण रूप से कम्प्यूटराइज्ड होने के कारण लेसमात्र भी कालाबाजारी की कोई गुंजाईश नहीं हो सकती एवं उक्त पोस मशीन से ऑनलाइन वितरण के कारण उपभोक्ता को देय रसद सामग्री का मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाने के कारण राशनकार्ड में रसद सामग्री का इन्द्राज किया जाना आवश्यक नहीं है,क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ता द्वारा भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड लाने पर ही रसद सामग्री दिये जाने बाबत् आदेश पारित किये गये है,बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा अपने विवेक का उचित उपयोग किये बिना ही प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित निष्कर्ष पारित किये

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

निरस्त कर दिया गया है। उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण जिला रसद अधिकारी टोंक के निर्देशानुसार प्रवर्तन अधिकारी टोंक द्वारा दिनांक 19.03.2024 को प्रार्थी की दुकान की जांच की गयी,जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी, टोंक द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.03.2024 द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निलंबित किया गया एवं निलंबन अवधि को 90 दिवस से अधिक हो जाने के बावजूद जिला रसद अधिकारी, टोंक द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल नहीं किया गया जबकि विभागीय परिपत्र दिनांक 18.10.2017 एवं दिनांक 28.03.2024 में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि यदि प्राधिकार पत्र धारक को प्राधिकार पत्र निलंबन की अंतिम तिथि तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का अंतिम निस्तारण नहीं किया गया है तो प्राधिकार पत्र धारक का प्राधिकार पत्र निलंबन अवधि समाप्त होने के तुरंत पश्चात् बहाल माना जावेगा एवं प्राधिकार पत्र धारक नियमानुसार कार्य कर सकेगा। अर्थात् निलंबन अवधि (अधिकतम 90 दिवस) समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् नियमानुसार प्राधिकार पत्र को बहाल किया जाना चाहिये था,लेकिन जिला रसद अधिकारी, टोंक द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल नहीं किया जिसके कारण प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 18553/2024 दिनांक 25.11.2024 को प्रस्तुत की गयी जिसके कारण जिला रसद अधिकारी टोक द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध द्वेषतापूर्वक कार्यवाही की जाकर प्रार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अपने नॉन स्पीकिंग आदेश दिनांक 06.12.2024 द्वारा अत्यन्त कठोर दण्ड देते हुए निरस्त कर दिया। जो कि जिला रसद अधिकारी, टोंक द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व ना तो कोई जांच रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध करवायी एवं ना ही दस्तावेजात आदि उपलब्ध करवाये। यह भी उल्लेखनीय है कि बिना किसी उचित माप-तौल व आधार के प्रार्थी के ऊपर रसद सामग्री के दुरूपयोग का आरोप प्रमाणित माना गया जबकि पत्रावली पर ऐसी कोई भी स्पष्ट साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि प्रार्थी द्वारा रसद सामग्री का गबन किया हो। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में आरोपों को प्रमाणित नहीं माना जा सकता।,बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी, टोंक द्वारा बिना किसी स्पष्ट साक्ष्य के प्रार्थी के ऊपर रसद सामग्री के दुरूपयोग का आरोप प्रमाणित माना जाकर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया है। प्रार्थी का एकमात्र रोजगार यह दुकान ही है। प्रार्थी के ऊपर पूरे परिवार का भरण पोषण का दायित्व है एवम् प्रार्थी के ऊपर गबन व कालाबाजारी का कोई आरोप प्रमाणित नहीं है उसके बावजूद प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित कारण के निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध ज्यादातर आरोप तकनीकी प्रकृति के है जिसके बाबत् विभागीय परिपत्र दिनांक 25.03.1994 के अनुसार तकनीकी अनियमितताओं बाबत् डीलरों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज नहीं करने बाबत् दिशा निर्देश पारित किये गये है। भौतिक सत्यापन में गैहूं की गणना सही नहीं हो पायी क्योंकि जीएसएस लावा अटैच व उद्दाराम गूर्जर दोनों दुकानों का माल एक जगह पडा हुआ था इसलिए भौतिक सत्यापन सही नहीं हो पाया। प्रार्थी के पास पोस मशीन नम्बर 2520 व 2521 में दर्ज सम्पूर्ण स्टॉक मात्रा गेहूं आदेश अनुसार संबंधित डीलर को तत्समय ही सम्भला दिये गये थे। अभिभाषक अपीलांट ने यह भी निवेदन किया कि दिनांक 19.03.2024 को जो 582 गेहूँ के कट्टे को गिनना बताया है उनकी गणना किसके द्वारा की गई,इस बाबत मौका रिपोर्ट मोन है। कट्टो की गणना तीन स्थान से की गई है। एक स्थान पर 171 कट्टे,दूसरे स्थान पर 228 कट्टे व तीसरे स्थान पर 183 कट्टो की गणना की गई,परन्तु वास्तविकता यह है कि जिस 1500 किलोग्राम गेहूँ को कम बताया है वह मौके पर ही था।गणना सही नही की गई तथा यदि गणना सही की जाती तो उक्ते कट्टे मौके पर मिलते इस बाबत अपीलांट के भतीजे ने निवेदन भी किया था,परन्तु सुनवाई नही की तथा यदि मौके पर गणना की वीडियोग्राफी की जाती तो भी

जिला कलेक्टर
टोंक

सच्चाई सामने आ जाती तथा निरीक्षण करने वाले के पास इस सुविधा का मोबाईल भी था। अतः जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया जिसे निरस्त किया जावे।

पेरोकार सरकार ने जवाबी बहस में कथन किया कि जिला रसद अधिकारी व प्रवर्तन अधिकारी टोंक द्वारा दिनांक 19.03.2024 को अप्रार्थी डीलर की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण करने पर डीलर द्वारा निम्नांकित अनियमितता करना पाया गया। वक्त निरीक्षण उचित मूल्य की दुकान बन्द पायी गई। दूरभाष पर सूचना करने पर भी दुकानदार स्वंय उपस्थित नहीं हुआ। दुकानदार के भतीजे श्री राजेश द्वारा दुकान का निरीक्षण करवाया गया,वक्त निरीक्षण मूल्य सूची,स्टॉक सूचना बोर्ड में सूचनाओं का इन्द्राज नहीं किया जाना पाया गया।दुकान पर उपभोक्ता पखवाडा से सम्बन्धित सूचनाओं का अंकन नहीं किया जाना पाया गया।वक्त निरीक्षण स्टॉक रजिस्टर, दुकान का प्रमाणित नक्शा, प्राधिकार पत्र एंव मासिक विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। भौतिक सत्यापन करने पर उचित मूल्य दुकान में कुल 1500 किलोग्राम गेहूँ स्टॉक में कम पाया गया जिसका कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया गया। उचित मूल्य दुकानदार का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वित्तरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सख्या 5. 6. 8. 9. 11 का स्पष्ट उल्लघन है।उक्त अनियमितता करने पर अप्रार्थी डीलर के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर कार्यालय आदेश कमांक अभियोजन 2024/601 दिनांक 20.03.2024 द्वारा डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया गया एवं कारण बताओ नोटिस क्रमांक/अभियोजन/610 दिनांक 20.03.2024 जारी कर अनियमितता का आगामी सुनवाई तिथि 12.04.2024 को स्पष्टीकरण मांगा गया। अप्रार्थी डीलर द्वारा दिनाक 28.06.2024 को नोटिस का बिन्दूवार जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया। निरीक्षण के दिन में आवश्यक कार्य से बाहर गया था मोबाईल पर सूचना प्राप्त होने पर मेरी दुकान पर काम करने वाले लडके राजेश माली से दुकान खुलवा दी गयी थी।दुकान पर मूल्य सूची, स्टॉक सूचनाओं का इन्द्राज हो रखा था,परन्तु बोर्ड दुकान में रखा हुआ था।उपभोक्ता पखवाड़ा से सम्बन्धित सूचना बोर्ड पर अंकित कर रखा था जो लड़के द्वारा बाहर नहीं रखा गया। स्टॉक रजिस्टर, दुकान का प्रमाणित नक्शा प्राधिकार पत्र है एवं मासिक विवरण काउंटर के अन्दर दराज में पड़ा हुआ था चाबी मेरे पास थी इसलिए नहीं दिखा सका। भौतिक सत्यापन में गैहूं की गणना सही नहीं हो पायी क्योंकि जीएसएस लावा अटैच व उद्दाराम गूर्जर दोनों दुकानों का माल एक जगह पडा हुआ था इसलिए भौतिक सत्यापन सही नहीं हो पाया। साथ ही यह निवेदन किया कि उसके पास पोस मशीन न0 2520 व 2521 में दर्ज सम्पूर्ण स्टॉक मात्रा गैहूं आपके आदेश अनुसार संबंधित डीलर को सम्भला दिये गये है। प्रवर्तन अधिकारी टोक द्वारा प्रस्तुत स्टॉक स्थानान्तरण रिपोर्ट दिनांक 14.06.2024 अनुसार अप्रार्थी डीलर द्वारा पोस मशीन नम्बर 2521 के अटेचमेट दुकानदार श्री दशरथ लाल शर्मा ग्राम धोली को अवशेष स्टॉक 4696 किलोग्राम गेहू सुपुर्द कर दिया गया एवं रिपोर्ट दिनांक 25.06.2024 अनुसार अप्रार्थी डीलर द्वारा पोस मशीन नंम्बर 2520 का स्टॉक अटेच डीलर श्री सौभागमल खटीक ग्राम लावा को सम्भला दिया गया है। अप्रार्थी डीलर का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 6, 8, 9 एवं 11 का स्पष्ट उल्लघंन है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है। अपीलाण्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लधंन करने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। अतः अपील अपीलाण्ट निरस्त की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। जिला रसद अधिकारी व प्रवर्तन अधिकारी टोंक द्वारा दिनांक 19.03.2024 को अप्रार्थी डीलर की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण

जिला कलेक्टर
टोंक

करने पर डीलर द्वारा निम्नांकित अनियमितताएं पाई गई। वक्त निरीक्षण उचित मूल्य की दुकान बन्द पायी गई। दूरभाष पर सूचना करने पर भी दुकानदार स्वंय उपस्थित नहीं हुआ। दुकानदार के भतीजे श्री राजेश द्वारा दुकान का निरीक्षण करवाया गया,वक्त निरीक्षण मूल्य सूची,स्टॉक सूचना बोर्ड में सूचनाओं का इन्द्राज नहीं किया जाना पाया गया।दुकान पर उपभोक्ता पखवाडा से सम्बन्धित सूचनाओं का अंकन नहीं किया जाना पाया गया।वक्त निरीक्षण स्टॉक रजिस्टर, दुकान का प्रमाणित नक्शा, प्राधिकार पत्र एंव मासिक विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। भौतिक सत्यापन करने पर उचित मूल्य दुकान में कुल 1500 किलोग्राम गेहूँ स्टॉक में कम पाया गया। उक्त अनियमितता करने पर अप्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र को निलम्बित किया गया एवं अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी कर अनियमितता का बिन्दुवार जबाब मांगा गया। डीलर द्वारा दिनाक 28.06.2024 को बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है।

निरीक्षण के दिन में आवश्यक कार्य से बाहर गया था,मोबाईल पर सूचना प्राप्त होने पर मेरी दुकान पर काम करने वाले लडके राजेश माली से दुकान खुलवा दी गयी थी। दुकान पर मूल्य सूची, स्टॉक सूचनाओं का इन्द्राज हो रखा था,परन्तु बोर्ड दुकान में रखा हुआ था।उपभोक्ता पखवाड़ा से सम्बन्धित सूचना बोर्ड पर अंकित कर रखा था,जो लड़के द्वारा बाहर नहीं रखा गया। स्टॉक रजिस्टर, दुकान का प्रमाणित नक्शा प्राधिकार पत्र है एवं मासिक विवरण काउंटर के अन्दर दराज में पड़ा हुआ था,चाबी मेरे पास थी इसलिए नहीं दिखा सका। भौतिक सत्यापन में गैहूं की गणना सही नहीं हो पायी क्योंकि जीएसएस लावा अटैच व उद्दाराम गूर्जर दोनों दुकानों का माल एक जगह पडा हुआ था इसलिए भौतिक सत्यापन सही नहीं हो पाया। साथ ही यह निवेदन किया कि उसके पास पोस मशीन न0 2520 व 2521 में दर्ज सम्पूर्ण स्टॉक मात्रा गेहूं आपके आदेश अनुसार संबंधित डीलर को सम्भला दिये गये है। डीलर के उक्त जवाब को सन्तोषप्रद नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब उपभोक्ता पखवाडा चल रहा था तो डीलर को आवश्यक कार्य से बाहर जाने से पूर्व कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक/प्रवर्तन निरीक्षक मालपुरा को सूचित करना चाहिये था। दुकान पर मूल्य सूची, स्टॉक सूचनाओं का इन्द्राज हो रखा था तो बोर्ड दुकान के बाहर लगा होना चाहिये था। इस प्रकार अप्रार्थी डीलर ने विभागीय दिशा–निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन किया है तथा 1500 किलोग्राम गेहूँ का दुरूपयोग किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है,परन्तु जिला रसद अधिकारी की आदेशिका दिनाक 28.06.2024 पर डीलर के हस्ताक्षर है,जिससे जाहिर होता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। गेहूँ के कट्टो की गणना तीन स्थान से की गई है। एक स्थान पर 171 कट्टे,दूसरे स्थान पर 228 कट्टे व तीसरे स्थान पर 183 कट्टो की गणना की गई,परन्तु जिस 1500 किलोग्राम गेहूँ को कम बताया है वह मौके पर ही था। गणना सही नही की गई,यदि गणना सही की जाती तो उक्ते कट्टे मौके पर मिलते इस बाबत अपीलांट के भतीजे ने निवेदन भी किया था,परन्तु सुनवाई नही की तथा यदि मौके पर गणना की वीडियोग्राफी की जाती तो भी सच्चाई सामने आ जाती। इस संबंध मे डीलर के भतीजे द्वारा तत्समय ही जांच अधिकारी के समक्ष लिखित मे आपत्ति कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो। इस प्रकार का प्रार्थना पत्र पत्रावली मे उपलब्ध नही है। राजस्थान खाद्यान एंव अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) 1976 मे उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण करते समय जांच अधिकारी द्वारा सामग्री की गणना करते समय वीडियोग्राफी की जावे का उल्लेख नही है।

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक (जांच दल) द्वारा दिनांक 19.03.2024 को डीलर की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण दो स्वतंत्र गवाह राजेश पुत्र कानाराम व नन्दकिशोर पुत्र रामलाल की उपस्थिति मे किया गया है। फर्द मौका भौतिक सत्यापन दिनांक 19.03.2024 पर दोनो स्वंतत्र गवाह के हस्ताक्षर है। राजेश स्वंय डीलर का भतीजा है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि गेहूँ के कट्टे की गणना दोनो स्वंतत्र गवाह के समक्ष की गई है और सत्यापन के दौरान 1500 किलोग्राम गेहूँ कम पाया गया है।

वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान पर डीलर द्वारा निम्नांकित अनियमितता करना पाया गया।

1–वक्त निरीक्षण उचित मूल्य की दुकान बन्द पायी गई। दूरभाष पर सूचना करने पर भी दुकानदार स्वंय उपस्थित नहीं हुआ। दुकानदार के भतीजे श्री राजेश द्वारा दुकान का निरीक्षण करवाया गया।

2–वक्त निरीक्षण मूल्य सूची,स्टॉक सूचना बोर्ड में सूचनाओं का इन्द्राज नहीं किया जाना पाया गया।

3–दुकान पर उपभोक्ता पखवाडा से सम्बन्धित सूचनाओं का अंकन नहीं किया जाना पाया गया।

4–वक्त निरीक्षण स्टॉक रजिस्टर, दुकान का प्रमाणित नक्शा, प्राधिकार पत्र एंव मासिक विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

5–भौतिक सत्यापन करने पर उचित मूल्य दुकान में कुल 1500 किलोग्राम गेहूँ स्टॉक में कम पाया गया।

इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार ने राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वित्तरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सख्या 5. 6. 8. 9. 11 का स्पष्ट उल्लघन किया है। जिला रसद अधिकारी कि आदेशिका दिनांक 20.03.2024 मे डीलर की उचित मूल्य दुकान ग्राम खणदेवत तहसील निवाई मे स्थित होना अंकित किया है,परन्तु पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि समस्त कार्यवाही उचित मूल्य दुकानदार लावा के संबंध मे है। ग्राम लावा की जगह ग्राम खणदेवत अंकित हो जाना लिपिकीय त्रुटि है।

अप्रार्थी डीलर द्वारा बदनियति से गेहूँ का उपभौक्ताओ को वितरण ना कर गम्भीर अनियमितता की है एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो की अवहेलना की है। चूकिं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य आम गरीब जन से जुडा हुआ है। आम उपभोक्ता की सहज मे सूचनाये अंकित होनी चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया गया है। जिला रसद अधिकार टोंक ने डीलर द्वारा राज0 खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6 का उल्लघंन है। अतः इसी आदेश की धारा 5,8,9 व 11 के तहत प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया। इस प्रकार उक्त आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी टोंक का आदेश दिनांक 06.12.2024 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज 21.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)